राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प.04( )/आरएमएससी/पीए/2012/1622 दिनांक : 26-09-2012

समस्त जिला कलक्टर,, प्रिसीपल मेडिकल कॉलेज, एवं अधीक्षक,
समस्त सयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषयः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फ्लेगशिप योजनाए "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" व "जननी शिशु सुरक्षा योजना" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वृहद निरीक्षण करने के सम्बन्ध में। (Two days district wide intensive inspection on 28 & 29.Sep.12)

राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व जननी शिशु सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है। सभी के परिश्रम व अथक प्रयासों की वजह से इन्हे सफलतापूर्वक लागू एवं क्रियान्वित किया जा सका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य मुख्यालय पर जयपुर मे एवं सभी प्रभारी मंत्रीगण जिलों मे "जननी एक्सप्रेस", एम्बूलेंस का 02 अक्टूबर को शुभारम्भ करेगें व साथ ही 2 अक्टूबर 2012 को राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दवा वितरण केन्द्रो के कम्प्यूटराईजेशन का शुभांरभ भी किया जाना है।

यह भी संभावित है कि प्रभारीमंत्रीगण द्वारा किन्ही अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जा सकता है। अतः अपेक्षा है कि सभी जिला कलक्टर, प्रिसींपल मेडिकल कॉलेज, चिकित्सक अधीक्षक,राजकीय चिकित्सालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संयुक्त निदेशक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुडे अन्य अधिकारीगण अपने क्षेत्राधीन/जिले में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों का भ्रमण व निरीक्षण कर निम्न गतिविधिया सुनिश्चित कराऐं ।

1. **आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनाः–**
   - जिला औषधि भण्डार गृह पर उपलब्ध सभी दवाईयों को जिले में स्थित सभी चिकित्सा संस्थानों अर्थात् जिला अस्पताल से लेकर सब सेन्टर तक उनकी श्रेणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
   - अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को सभी दवा वितरण केन्द्र, वार्ड, इमरजेन्सी रूम, लेबर रूम आदि स्थानों पर उपलब्ध कराऐं ।
   - किसी औषधि की कमी होने पर उसे स्थानीय क्रय (Local Purchase) बजट से उपलब्ध कराऐ।

2. **दवाओं का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करनाः–**
   - सभी चिकित्सक, यथासम्भव जेनेरिक नाम से दवा लिखें व अस्पताल में उपलब्ध आवश्यक दवाओं को स्टेन्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाईन्स के अनुसार ही प्रिस्क्राईव करें।
   - काउन्सलिंग व चेतावनी के बावजूद भी सरकार के निर्देशों की जानबूझ कर अवहेलना पाए जाने पर अनुशानात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए व ऐसे कार्मिकोक की सूची राज्य सरकार को भिजवाई जाए।

3. **सुव्यवस्थित दवा वितरण करनाः–**
   - सभी दवा वितरण केन्द्र साफ सुथरे हो, जिसमें औषधियो व्यवस्थित रूप से रखी हो।
   - दवा वितरण केन्द्र पर फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर आपरेटर आदि स्टाफ सफेद पोशाक में व परिचय पत्र (I-Card) के साथ हो।